उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-93/2019/1834/92-2-19-18एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 14 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत चौरी से महाराजगंज व असनांव से जी0टी0 रोड तक के निर्माण कार्य में त्रुटिपूर्ण डी0पी0आर0 गठन/स्वीकृति की अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दि0 18.04.2019 व 20.05.2019 में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बलराम कटियार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति प्रखण्ड-सीतापुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1305/92-2-19-18एम/2018 दिनांक 24-06-2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (पूर्वी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री कटियार को दिनांक 25-07-2019 को व्यक्तिगत/ मौखिक सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र सं0-459/ग्रा0अ0 वि0/अनु0जांच/जां0-भदोही/एस0टी0-274/19-20 दिनांक 30-07-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री बलराम कटियार पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही बताया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री कटियार पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर कोई भी आरोप स्थापित नपाये जाने के दृष्टिगत श्री बलराम कटियार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-भदोही सम्प्रति प्रखण्ड-सीतापुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-93/2019/1834/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री बलराम कटियार, तत्का0 सहा0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,पीआईयू-भदोही सम्प्रति-प्रखण्ड सीतापुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in